फार्म 2

(टेलीपोर्ट्स)

अपलिंकिंग हब (टेलीपोर्ट) की स्थापना, अनुरक्षण तथा संचालन हेतु

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

एवं

.....

.....

के बीच

अनुज्ञा मंजूरी करार

<u>टेलीपोर्ट हेतु अनुज्ञा मंजूरी करार</u>

यह करार आज दिनांक ..... 2008 को, भारत के राष्ट्रपति जो ..... सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिसे इसके बाद अनुमति प्रदान करने वाला कहा गया है) कार्यकारी भारत के राष्ट्रपति, एक पक्ष के रूप में तथा मैसर्स ....., कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (जिसे इसके बाद अनुमति धारक कहा जाएगा, जब तक कि यह अभिव्यक्ति शामिल संदर्भ, व्यवसाय में इसके उत्तराधिकारी, प्रशासकों, ऋण निश्चित करने वाले अधिकारियों तथा नियत या विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिकूल न हो), दूसरे पक्ष के बीच में किया जाता है।

जबकि दिनांक 2.12.2005 को अधिसूचित "भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देश" के अनुसार अनुमति धारक द्वारा पात्रता शर्तों की पूर्ति, आश्वासनों तथा आवश्यक अनुमति शुल्क का भुगतान करने के अनुसरण में, अनुमति प्रदाता अनुमति धारक को, इसके बाद दी गई शर्तों एवं नियमों तथा जिन्हें अनुमति धारक ने स्वीकार करने की सहमति दी है, ... स्थान पर अपलिंकिंग हब (टेलीपोर्ट) की स्थापना, अवलम्बन तथा संचालन करने की अनुमति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त करता है।

और जबकि यह अनुज्ञा करार, दिनांक 2.12.2005 को अधिसूचित भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देशों तथा जारी किए गए आदेशों/दिशानिर्देशों या समय-समय पर अनुमति प्रदाता या प्रसारण सेवाओं हेतु विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों/दिशाओं के निरस्तीकरण में न होकर, उनके अतिरिक्त है।

इस करार में, शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ, यदि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, क्रमश: उन्हें नीचे दिए गए अर्थों के समान होगा :

1.1 **"अनुज्ञा मंजूरी करार"** का अर्थ होगा यह करार तथा इसमें किए जाने वाले संशोधन/आशोधन।

1.2 **"अनुमति"** का अर्थ होगा, इस करार के अनुसरण में अनुमति प्रदाता द्वारा अनुमति धारक को प्रदान की गई अनुमति।

1.3 **"अनुमति शुल्क"** का अर्थ होगा, उपरोक्त अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देशों के पैरा 1.3.2 में निर्धारित शुल्क।

1.4 **"डब्ल्यूपीसी"** का अर्थ होगा वायरलेस आयोजना एवं समन्वय विंग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

अब इस करार को निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जाता है :

2. इस करार की शर्तों पर पारस्परिक सहमति के अवलोकन में तथा अनुमति धारक द्वारा इसके बाद इस करार की सभी शर्तों एवं नियमों की अनुपालना और/या यथा निष्पादन के अध्यधीन, अनुमति प्रदाता एतद्द्वारा नीचे दी गई शर्तों एवं नियमों के विषयाधीन दस वर्षों की अवधि हेतु गैर-निषेधक आधार पर ..... स्थान पर अपलिंकिंग हब (टेलीपोर्ट) की स्थापना करने, अनुरक्षण करने तथा संचालन करने की अनुमति प्रदान करता है।

3. <u>अनुमति की अवधि</u>

3.1 यह अनुमति, यदि इसे किसी अपराध या दिवालिएपन या सुविधा हेतु पूर्व में समाप्त न किया जाए तो, टेलीपोर्ट के संचालित होने की तारीख से दस वर्षों की अवधि हेतु वैध होगी।

4. <u>टेलीपोर्ट केन्द्र प्रदान करने के लिए आवश्यकताएं</u>

4.1 अनुमति धारक इसके बाद इसके तहत आवश्यक मॉनीटरिंग सुविधाओं सहित टेलीपोर्ट की स्थापना, इसके सहायता साधनों तथा आवश्यक उपस्कर एवं प्रणालियों के संचालन हेतु अकेला जिम्मेवार होगा।

4.2 अनुमति धारक इस करार पर हस्ताक्षर करने के एक माह के भीतर वायरलेस प्रचालन लाइसेंस के लिए डब्ल्यूपीसी को आवेदन करेगा तथा उसकी आवश्यक अपेक्षाओं की अनुपालना करेगा।

4.1 अनुमति धारक डब्ल्यूपीसी द्वारा आवश्यक लाइसेंस प्रदान किए जाने के 12 महीनों के भीतर मॉनीटरिंग सुविधाओं इत्यादि सहित अपलिंकिंग सुविधाओं को स्थापित करने के कार्य को पूरा करेगा तथा लागू प्रणालियों को शुरू करेगा तथा इस संबंध में अनुमति प्रदाता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4.2 अनुमति धारक किसी ऐसे उपस्कर का उपयोग नहीं करेगा जो अनुमति धारक के ज्ञान या अनुमति प्रदाता के विचार से गैर-कानूनी है और/या जिससे नेटवर्क की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अनुमति धारक भारत सरकार या अनुमति प्रदाता द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को मॉग करने पर उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे सभी उपस्करों को तकनीक जॉच और विस्तृत निरीक्षण हेतु पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाएगा।

5. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य कानूनों का लागू होना

5.1 यह अनुमति समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 तथा प्रसारण सेवाओं पर लागू अन्य कानून जिन्हें लागू किया जा चुका है या लागू किया जा सकता है, द्वारा अभिशासित होगी।

6. कतिपय कार्यकलापों की मनाही

6.1 यह अनुमति गैर-हस्तांतरणीय है। अनुमति धारक न ही तो प्रत्यक्ष रूप से तथा न ही अप्रत्यक्ष रूप से इस करार के तहत प्राप्त किसी भी अधिकार को किसी भी तरह से किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित या नियत नहीं करेगा या अनुमति की किसी भी विषय-वस्तु से संबंधित उप-अनुमति और/या साझेदारी हेतु किसी भी तीसरी पार्टी से सम्पूर्ण रूप से या उसके भाग के रूप में करार नहीं करेगा। इन शर्तों के किसी भी उल्लंघन को इस करार को भंग करने के रूप में माना जाएगा, जिससे यह करार समाप्त हो सकता है।

6.2 अनुमति धारक अनुमति के अनुसार सी-बैण्ड या केयू बैण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य बैण्ड में अपलिंकिंग नहीं करेगा। केयू बैण्ड में अपलिंकिंग के मामले में, अनुमति धारक पूर्व एवं उपयुक्त लाइसेंस के बिना डीटीएच सेवाओं के संचालन/जारी करने हेतु टेलीपोर्ट का उपयोग नहीं करेगा, जिनके लिए अलग दिशानिर्देश लागू होते हैं।

6.3 अनुमति धारक उन टीवी चैनलों को अपलिंक नहीं करेगा जिनकी अपलिंकिंग हेतु अनुमति धारक को अनुमति प्रदाता द्वारा अनुमोदन या अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

6.4 अनुमति धारक एवं टीवी चैनल के बीच हुए किसी करार के बावजूद भी, अनुमति धारक को उस चैनल की अपलिंकिंग हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन/अनुमति को वापस लिए जाने/लंबित किए जाने की स्थिति में उस चैनल की अपलिंकिंग को तुरंत प्रभाव से रोकना होगा।

7. <u>राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्य शर्तें</u>

6.1 अनुमति प्रदाता को सार्वजनिक हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए एक विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कंपनी को प्रदान की गई अनुमति को निरस्त करने का अधिकार होगा। अनुमति धारक को इस संबंध में जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देशों की तुरंत अनुपालना करनी होगी।

6.2 यदि किसी टेलीपोर्ट/एसएनजी/डीएसएनजी को सार्वजनिक हित के प्रतिकूल किसी आपत्तिजनक अनाधिकृत विषय-वस्तु, संदेशों या संचार का प्रसारण/अपलिंकिंग करते हुए पाया जाता है/पाया गया है या उपरोक्त पैरा 7.1 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने में विफल पाया जाता है तो दी गई अनुमति को वापस ले लिया जाएगा तथा अनुमति धारक को अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत दंड के प्रावधान के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.3 अनुमति धारक द्वारा अपनी सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन हेतु नियुक्तियों, संविदा, परामर्श इत्यादि द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सभी विदेशी व्यक्तियों को इनकी नियुक्ति से पहले अनुमति प्रदाता से पूर्व सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

6.4 निदेशक बोर्ड में कोई भी परिवर्तन अनुमति प्रदाता के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा ।

8. कार्यक्रम विषय-वस्तु तथा प्रसारण की गुणवत्ता

8.1 अनुमति धारक प्रसारित किए गए कार्यक्रम के परिणामों हेतु विशेष तौर पर जवाबदेह होगा एवं क्षतिपूर्ति करेगा तथा अनुमति धारक द्वारा कार्यक्रम के प्रसारण हेतु टेलीपोर्ट के प्रयोग से होने वाले किसी भी नुकसान, हानि या किए गए दावों के लिए अनुमति प्रदाता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

9. मॉनीटरिंग एवं सार्वजनिक शिकायतें

9.1 अनुमति धारक अपनी स्वयं की लागत से, (क) प्रसारण सामग्री की रिकार्डिंग को प्रसारण की तारीख से तीन माह की अवधि तक सुरक्षित रखेगा तथा इसे अनुमति प्रदाता या इसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जब कभी आवश्यक होगा, प्रस्तुत करेगा और (ख) अनुमति प्रदाता द्वारा माँगे जाने पर नियत स्थलों पर अनुमति प्रदाता द्वारा या उसके तहत प्रसारण सेवा की सतत् मॉनीटरिंग हेतु निरीक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर, सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करेगा।

9.2 अनुमति धारक को अनुमति प्रदाता द्वारा समय-समय पर उसकी प्रसारण सेवाओं के संबंध में माँगी जाने वाली सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

9.3 अनुमति धारक को अनुमति प्रदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फार्मेट में प्रसारण से संबंधित कार्यक्रम विषय-वस्तु एवं गुणवत्ता, तकनीकी पैरामीटरों इत्यादि की जानकारी अनुमति प्रदाता को आवधिक तौर पर प्रस्तुत करनी होगी।

10. निरीक्षण

10.1 अनुमति प्रदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। अनुमति प्रदाता को, विशेष तौर पर परंतु इस तक सीमित नहीं, अपलिंकिंग अवसंरचना नामतः टेलीपोर्ट एवं मॉनीटरिंग सुविधाएं एवं रिकार्ड्स की सुलभता का आधिकार होगा। अनुमति प्रदाता को निरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पूर्व अनुमति/सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमति धारक को, यदि अनुमति प्रदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

आवयक हो, तो अनुमति धारक के कार्यकलापों के किसी विशेष पहलू और अभियानों की सतत् मॉनीटरिंग हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

10.2 अनुमति प्रदाता सामान्यत: उचित सूचना प्रदान करके ही निरीक्षण कार्य करेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जब ऐसी सूचना देने से निरीक्षण का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए।

11. विशेष आकस्मिक स्थिति

11.1 यदि इस अनुमति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय युद्ध, शत्रुता, शत्रुता के कार्यों, गृह-कलेश, तोड़-फोड़, अग्नि, बाढ़, राज्य के कार्य, विस्फोट, महामारी, संक्रामकता प्रतिबंध, प्रभावित पार्टी की किसी बाध्यता को वास्तव में प्रभावित करने वाली सामान्य हड़ताल, या दैवीय प्रकोप (इन सभी या इनमें से किसी एक को इसके बाद **"विशेष आकस्मिक स्थिति"** कहा जाएगा) की वजह से किसी पार्टी द्वारा किसी बाध्यता के निष्पदन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विलम्ब होता है या रूकावट आती है तो कोई भी पार्टी ऐसी विशेष आकस्मिक स्थिति के कारण इस अनुमति को समाप्त नहीं कर सकेगी, न ही कोई भी पार्टी निष्पादन में विलम्ब या गैर-निष्पादन के संबंध में होने वाले नुकसान के संबंध में दूसरी पार्टी से दावा करेगी; बशर्ते प्रभावित पार्टी द्वारा किसी भी प्रधान शक्ति घटना होने से संबंधित जानकारी अप्रभावित पार्टी को इसके होने के 21 दिनों के भीतर दी जाए।

12. <u>अनुमति प्रदाता को सूचना प्रदान करने की आवश्यकता</u>

12.1 अनुमति धारक अनुमति प्रदाता को उसके द्वारा माँगे जाने वाले समय पर या ऐसे आवधिक अंतराल पर दस्तावेजों, रिपोर्टों, लेखाओं, अनुमानों, रिटर्नस, इक्विटी धारिता पैटर्न से संबंधित या कोई अन्य ऐसी सूचना प्रदान करेगा।

13. <u>मूल्य संवर्धित सेवाएं</u>

13.1 अनुमति धारक द्वारा स्थापित किए जाने वाले अपलिंकिंग हब का प्रयोग केवल टीवी चैनलों की अपलिंकिंग हेतु किया जाएगा तथा इसका प्रयोग वायस, फैक्स, डाटा संचार सहित संचार के किसी अन्य माध्यम के लिए तब तक नहीं किया

जाएगा जब तक कि ऐसी मूल्य संवर्धित सेवाओं हेतु सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो।

14. अंतर-प्रणाली समन्वय करार के प्रावधानों की समरूपता

14.1 अनुमति धारक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अपलिंकिंग हब (टेलीपोर्ट) का संचालन इनसेट तथा अनुमति धारक द्वारा प्रयोग किए जा रहे सैटेलाइट के बीच हुए अंतर-प्रणाली समन्वय करार के प्रावधानों के समरूप होना चाहिए।

15. अनुमति की समाप्ति

15.1 गैर-संचालनात्मकता के परिणामस्वरूप

15.1.1 अनुमति धारक टेलीपोर्ट को इस करार के खण्ड 4.3 में निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार संचालित करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद अनुमति को वापस लिया जा सकता है।

15.2 दुरूपयोग तथा दिशानिर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप

15.2.1 यदि कोई अनुमति धारक अपनी सुविधाओं का अनाधिकृत विषय-वस्तु, संदेशों या संचार के प्रसारण के लिए प्रयोग करता है या प्रदान करने की सुविधा देता है या उपरोक्त खण्ड 7.1 एवं 7.2 के अनुसार दिशानिर्देशों की अनुपालना करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में दी गई अनुमति को वापस ले लिया जाएगा तथा अनुमति धारक को अन्य लागू कानूनों के तहत दंड के प्रावधान के अतिरिक्त भविष्य में पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15.3 अनुमति की शर्तों एवं नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप

15.3.1 उपरोक्त खण्ड 15.1 तथा 15.3 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन, यदि अनुमति धारक अनुमति की किन्हीं शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करता है तो अनुमति प्रदाता को निम्नलिखित दंड देने का अधिकार होगा :

(क) प्रथम बार उल्लंघन करने पर अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा 30 दिनों की अवधि हेतु प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।

(ख) दूसरी बार उल्लंघन करने पर अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा 90 दिनों की अवधि तक प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।

(ग) तीसरी बार उल्लंघन करने पर अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।

(घ) यदि अनुमति धारक निर्धारित समय के भीतर दिये गये दंडों की अनुपालना करने में विफल रहता है तो अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा तथा भविष्य में पांच वर्षों की अवधि हेतु नई अनुमति प्राप्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15.3.2 अनुमति को निरस्त/निरसन किये जाने की स्थिति में, अनुमति धारक की उपयोग न की जाने वाली अवधि की फीस को जब्त कर लिया जाएगा। अनुमति प्रदाता अनुमति धारक द्वारा टेलीपोर्ट में किए गए निवेश या इस अनुमति के आधार पर किसी अन्य पार्टी द्वारा किए गए किसी निवेश के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

15.3.3 उपरोक्त कोई भी निलंबन/निरसन अनुमति धारक को उल्लंघन को दर्शाते हुए लिखित में सूचना देने, उसे इसमें सुधार करने का अवसर प्रदान करके, यदि इसका स्वरूप इसकी अनुमति देता हो, या 15 दिनों की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करके लागू किया जाएगा, एवं ऐसे सुधार और/या दर्शाए गए कारणों से संतुष्ट न होने पर अनुमति धारक पर प्रस्तावित निलंबन/निरसन लागू हो जाएगा।

15.4 अपात्रता हेतु अनुमति की समाप्ति

यदि अनुमति धारक भारत से अपलिंकिंग करने हेतु जारी किए गए दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए पात्रता मानदण्डों को पूरा करने में विफल रहता है या कंपनी की ऋण निस्तार प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है या यह दिवालिया या

कंगाल हो जाए या कंगाल/दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन करती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति प्रदाता किसी भी समय इस करार तथा अनुमति को रद्द कर सकता है, बशर्ते ऐसी समाप्ति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए या किसी ऐसे कार्य अधिकार को प्रभावित नहीं करना चाहिए जो अनुमति प्रदाता के लिए लाभदायक हो या इसके बाद लाभदायक होने वाला हो।

15.5 सुविधा हेतु समाप्ति

15.5.1 अनुमति धारक अनुमति प्रदाता तथा अन्य सभी संबंधित/प्रभावित पार्टियों को एक माह का अग्रिम नोटिस देकर इस अनुमति को वापस लौटा सकता है या इस करार को रद्द कर सकता है। तथापि, ऐसे मामले में प्रयोग न की गई अवधि के लिए अनुमति शुल्क को वापस नहीं लौटाया जाएगा।

16. <u>अन्य पार्टियों के साथ विवाद</u>

16.1 अनुमति धारक तथा अनुमति प्रदाता के बीच (अनुमति और/या प्रसारण सेवाओं, इत्यादि के संबंध में होने वाले विवादों सहित) होने वाले विवादों को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ किसी भी कारण से होने वाले विवादों का निपटारा अन्य पार्टी के साथ मैत्रीभाव या अन्यथा ढंग से करने की पूरी जिम्मेवारी अनुमति धारक की होगी तथा अनुमति प्रदाता की इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अनुमति धारक को एतद्द्वारा किसी भी कार्रवाई, दावे, अभियोग, अदालती प्रक्रिया, क्षति या अनुमति धारक, इसके एजेंटों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों या सेवकों की तरफ से की गई किसी भूल या आज्ञा-पत्र के किसी कार्य हेतु अनुमति प्रदाता को/उसके खिलाफ जारी किए गए नोटिस के लिए पूरी क्षतिपूर्ति करने तथा अनुमति प्रदाता को कोई नुकसान न होने देने की शपथ लेनी होगी।

बशर्ते कि यदि ऐसा तीसरी पार्टी विवाद, अनुमति धारक द्वारा किसी नियम या विनियम या अनुमति करार में निहित किन्हीं अन्य शर्तों एवं नियमों को तोड़ने या उनकी अनुपालना न करने की वजह से खड़ा होता है तो अनुमति प्रदाता को वहां बताए गए अनुसार अनुमति धारक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

17. <u>विवाद निपटान एवं न्याय अधिकार क्षेत्र</u>

17.1 इस करार के तहत कोई भी प्रश्न, विवाद या भिन्नता होने या उस संबंध में होने वाले किसी भी विवाद, सिवाय उस मामले के जिसका निर्णय विशेष तौर पर नीचे दिया गया है, की स्थिति में उसे केवल सचिव, विधि मामले विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति (**"मध्यस्थ"**) के पास मध्यस्थता के लिये भेजा जाएगा।

17.2 यदि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, तो इस आधार पर उसकी नियुक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। मध्यस्थ का निर्णय सभी पार्टियों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। यदि वह मध्यस्थ जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया था, किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होता है तो सचिव, विधि मामले विभाग, भारत सरकार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा।

17.3 उस समय लागू मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत बनाए गए नियम तथा उनमें किया गया कोई भी आशोधन उपरोक्त मध्यस्थता प्रक्रियाविधि के लिए भी लागू माना जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली या ऐसा कोई स्थान होगा जिसका निर्णय मध्यस्थ करता है। मध्यस्थता प्रक्रियाविधि अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।

17.4 उपरोक्त मध्यस्थता या किसी भी संदर्भ पर निर्णय देने में लागत, ब्याज और न्याय प्रक्रियाविधि में आकस्मिक खर्चों का मूल्यांकन मध्यस्थ अपने विवेक से करेगा।

17.5 नई दिल्ली में स्थित न्यायालयों का सभी विवादों पर न्याय अधिकार क्षेत्र होगा।

18. <u>विविध</u>

17.1 इस करार में किसी भी स्थान पर निहित किसी भी चीज के बावजूद, अनुमति प्रदान किया जाना इस शर्त के अध्यधीन होगी कि जब कभी भी देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित एवं मॉनीटर करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण

की स्थापना की जात है तो अनुमति धारक को ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों, नियमों एवं विनियमों की या भारत में प्रसारण सेवाओं को विनियमित और मॉनीटर करने के लिए लागू नियमों की अनुपालना करनी होगी।

17.2 अनुमति धारक को डब्ल्यूपीसी द्वारा वायरलेस संचालन लाइसेंस जारी करने हेतु आवश्यक सभी शर्तों की अनुपालना करनी होगी तथा इस करार में निर्धारित तकनीकी पैरामीटरों से भी सहमत होना होगा। अनुमति धारक को लागू कानून के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। अनुमति धारक को लागू कानून तथा विशेष तौर पर विद्युत अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम तथा अन्य संबंधित अधिनियमों की अनुपालना करनी होगी।

17.3 इस जीओपीए के कुछ खण्ड संशोधन हेतु अनुमति प्रदाता के पास विचाराधीन हैं। अनुमति धारक को इस बात पर सहमत होना होगा कि वह अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही इस जीओपीए के स्थान पर संशोधित जीओपीए को प्रतिस्थापित करेगा।

19. <u>डब्ल्यूपीसी विंग की अनुमति</u>

19.1 जैसा कि ऊपर बताया गया है, टेलीपोर्ट को संचालित करने से पहले अनुमति धारक को डब्ल्यूपीसी विंग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एक अलग से विशिष्ट लाइसेंस अर्थात वायरलेस संचालन लाइसेंस प्राप्त करना होगा जिसमें ऐसे लाइसेंस की सामान्य शर्तों एवं नियमों के तहत टेलीपोर्ट सेवा के संबंधित वायरलेस संघटक की स्थापना तथा संचालन के लिए उपयुक्त फ्रीक्वेंसी/बैण्ड के उपयोग की अनुमति दी गई हो। ऐसा लाइसेंस प्रदान किया जाना नियमों, प्रक्रिया विधियों एवं दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होगा तथा डब्ल्यूपीसी विंग की सभी आवश्यकताओं की अनुपालना के अध्यधीन होगा।

19.2 इस उद्देश्यार्थ भारत सरकार के वायरलेस सलाहकार, डब्ल्यूपीसी विंग, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्धारित आवेदन फार्म में आवेदन करना होगा।

19.3 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए अनुमति धारक को डब्ल्यूपीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

19.4 अनुमति धारक रेडियो स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं को नुकसानदायी बाधा नहीं पहुंचाएगा। डब्ल्यूपीसी को अन्य लाइसेंसधारी उपयोगकर्ताओं के लिए नुकसानदायी बाधा, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक तथा आवश्यक कदम उठाने का एकल अधिकार होगा।

19.5 वायरलेस आयोजना एवं समन्वय विंग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वायरलेस संचालन लाइसेंस की शर्तों की समरूपता को तकनीकी दृष्टिकोण से जांच करने के लिए स्थापित उपस्करों का समय-समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

इसके प्रतिपादन में, पार्टियों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में ऊपर पहले बताए गए करार पर दिन, माह तथा वर्ष को हस्ताक्षर किए हैं।

..... द्वारा
भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा
की तरफ से हस्ताक्षर किए गए

..... के लिए तथा की तरफ से
दिनांक ..... को सामान्य पावर आफ अटार्नी
द्वारा हस्ताक्षर किए गए ..... द्वारा दिनांक
..... को संकल्प बोर्ड के अनुसार लागू किया गया।

गवाह :